अपील सूचना अधिकार संख्या 29/2022(GCMS 2022/107) (आरटीआई नं. 212548705557611) श्री विकास पुत्र विनोद कुमार निवासी वार्ड नं. 02, नजदीक महाराणा प्रताप स्कूल, रायसिंहनगर (मोबाईल नं. 887[illegible]35760) बनाम तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.06.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विकास स्वयं उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.03.2022 से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील ऑनलाईन पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी विकास ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.03.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर से सूचना चाही थी, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक रीडर/2022/868–868 दिनांक 08.06.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया हैः

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक सेल डीड उपपंजीयक, शाखा कार्यालय, रायसिंहनगर में आय से सम्बन्धित सूचना चाही गई है। दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक कुल 921 सेल डीड हुई है। जिससे सरकार को 3,34,54000/– रूपये आय प्राप्त हुई है। अतः सूचना के अधिकार के तहत सूचना जिस रूप में उपलब्ध है उसी अनुसार दी जा रही है। अलग से कोई प्रोफार्मा निर्धारित कर सूचना उपलब्ध करवाये जाने का कोई प्रावधान ही है। अतः सादर सूचित है।
>
> -sd-
> तहसीलदार (राजस्व)
> रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:21:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है।** सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को [illegible] की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमील [illegible] हो।

यह आदेश आज [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले **न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:21:45 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर